आराजी का मौके व राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 870 रकबा 36 बीघा ख0नं0, 871 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 888 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, ख0नं0 889 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 890 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा कुल खसरा 5 कुल रकबा 113 बीघा 19 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)